2026 का विधेयक सं. 4

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

जीविका और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वसनीयता आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए और अपराधों का गैर अपराधीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह 7 जनवरी, 2026 को और से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन.- अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों का एतद्द्वारा उस सीमा तक और उस रीति से, जो उसके स्तंभ (5) में उल्लिखित हैं, संशोधन किया जाता है।

3. व्यावृत्तियां.- इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन ऐसी किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गयी है;

और यह अधिनियम पहले से ही की गयी या भुगती गयी किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, उसके प्रभाव या परिणामों या पहले ही अर्जित, उद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग से किसी निर्मुक्ति या उसके उन्मोचन या पहले से ही अनुदत्त की गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम

या विद्‌यमान रूढि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति, को इस बात के होते हुए भी प्रभावित नहीं करेगा कि वे इसके द्‌वारा संशोधित या निरसित किसी अधिनियमिति के द्‌वारा, उसमें या उससे किसी भी रीति से क्रमश: अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हैं;

न ही इस अधिनियम द्‌वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन किसी भी अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात, जो अब विद्‌यमान नहीं है या प्रवृत्त नहीं है, को पुनरुज्जीवित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्‌वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

क्र. सं.	वर्ष	अधिनियम सं.	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1953	13	राजस्थान वन अधिनियम, 1953	(1) धारा 2 के खण्ड (3) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "अधीन दण्डनीय" के पश्चात् और विद्‌यमान अभिव्यक्ति "कोई अपराध" से पूर्व अभिव्यक्ति "या शास्ति के लिए दायी" अंत:स्थापित की जायेगी। (2) धारा 26 में,- (i) उप-धारा (1) के विद्‌यमान खण्ड (क) और (ख) हटाये

				जायेंगे; (ii) विद्यमान उप-धारा (1-क) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:- "(1-ख) जो कोई व्यक्ति किसी आरक्षित वन में,- (क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने की अनुज्ञा देगा, वह वन को हुए नुकसान के लिए, धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति का दायी होगा, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी; (ख) किसी वृक्ष को गिराये जाने, या काटे जाने या किसी इमारती लकड़ी को खींचे जाने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान कारित करेगा, वह वन को हुए नुकसान के लिए, धारा 68 के अधीन सशक्त वन-अधिकारी द्वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति के लिए, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा।"। (3) धारा 33 में,- (i) उप-धारा (1) में विद्यमान खण्ड (ख) और (ग) हटाये जायेंगे; (ii) उप-धारा (1-क) का विद्यमान खण्ड (घ) हटाया

				जायेगा; (iii) विद्‌यमान उप-धारा (1-क) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:- "(1-ख) जो कोई व्यक्ति किसी संरक्षित वन में,- (क) धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो या गिराया गया हो या किसी संरक्षित वन का बन्द प्रभाग हो, के सामीप्य में अपने द्‌वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड़ देगा, वह वन को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 68 के अधीन सशक्त वन-अधिकारी द्‌वारा यथा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति के लिए, दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी; (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरायेगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्‌वारा अवधारित ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त,

				शास्ति के लिए, दायी होगा, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी।"। (4) धारा 52 की उप-धारा (2) के परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:- "परन्तु यह कि ऐसा वन विषयक अपराध, जिसके बाबत उप-धारा (1) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, अधिनियम की धारा 68 के अधीन शमनीय हो सकेगा, यदि अभिलेख पर यह स्थापित कर दिया जाता है कि अपराध कारित करने वाला (वाले) व्यक्ति और उप-धारा (1) के अधीन अभिगृहीत मशीनरी, आयुध, औजार, नाव, पशु, यानों, रस्सियों, चैन या कोई अन्य वस्तु और कोई व्यक्ति जो ऐसी अभिगृहीत सम्पति में कोई हित रखता है, इस अपराध से पूर्व इस अधिनियम के अधीन किसी वन विषयक अपराध के कारित किये जाने में अन्तर्वलित नहीं रहा है।"। (5) धारा 68 में, - (i) विद्यमान शीर्षक को निम्नलिखित शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "**68. अपराधों का शमन और शास्ति**

				अधिरोपित करने की शक्ति.- "; (ii) उप-धारा (1) के विद्‌यमान खण्ड (क) में आये शब्द "और" के स्थान पर शब्द "या" प्रतिस्थापित किया जायेगा; (iii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "(कक) किसी व्यक्ति से, धारा 26 की उप-धारा (1-ख) या धारा 33 की उप-धारा (1-ख) के अतिक्रमण के लिए शास्ति या प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे, और"। (6) विद्‌यमान धारा 87 हटायी जायेगी।
2.	1955	3	राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955	विद्‌यमान धारा 86 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "**86. विधिविरूद्ध हटाये जाने पर शास्तियां.-** जो कोई धारा 83 या धारा 84 के समस्त उपबंधों या उनमें से किन्ही उपबंधों का या तद्धीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों, शर्तो या निर्बंधनों में से किसी का उल्लंघन करता है तो वह

				ऐसी शास्ति का दायी होगा जो सहायक कलक्टर द्वारा, उसको आवेदन या रिपोर्ट किये जाने पर, अधिरोपित की जा सकेगी- (क) प्रथम उल्लंघन की दशा में: (i) जहां कोई वृक्ष हटाया गया है तो हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिए ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ii) अन्य दशा में, ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसी शास्ति से जो खण्ड (क) के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की रकम की दोगुनी हो सकेगी; और कोई वृक्ष या उसका काष्ठ जिसकी बाबत् ऐसा उल्लंघन कारित किया गया है, राज्य सरकार को समपहृत किया जा सकेगा।"।
3.	1956	26	राजस्थान नौचालन विनियमन अधिनियम, 1956	(1) धारा 10 में, विद्यमान शब्द, "यदि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि यह पाया जाता है कि" और विद्यमान अभिव्यक्ति "का दोषी रहा है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "के लिए कभी भी धारा 14 के अधीन दण्डित किया गया है" प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 12 की उप-धारा (1)

				के खण्ड (च) के अन्त में आये विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर शब्द "; या" प्रतिस्थापित किये जायेंगे और इस प्रकार संशोधित खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "(छ) धारा 14 के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण या धारा 14क के अधीन उल्लंघन का शमन करना।"। (3) विद्यमान धारा 14 के स्थान के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "**14. शास्ति.-** (1) जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या दुष्प्रेरण करता है या प्रयत्न करता है, या तत्समय प्रवृत्त धारा 13 के अधीन जारी की गई किसी भी अधिसूचना के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भाड़ा प्रभारित करता है, तो वह शास्ति, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, के संदाय का दायी होगा, जो नियमों में विहित प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये। (2) उप-धारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति भू-राजस्व के

				बकाया के रूप में वसूलीय होगी।” (4) इस प्रकार संशोधित धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:- “**14क. उल्लंघनों का शमन करना.-** (1) प्राधिकारी, या तो कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने से पूर्व या उनके पश्चात् अधिरोपणीय शास्ति की अधिकतम रकम से अनधिक ऐसी राशि, जो विहित की जाये, के संदाय पर इस धारा के अधीन किसी उल्लंघन का शमन कर सकेगा। (2) शास्ति अधिरोपित करने और उल्लंघन का शमन करने की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाये।”। (5) धारा 16 की उप-धारा (2) में,- (i) खण्ड (ख) के अन्त में आया विद्यमान शब्द “और” हटाया जायेगा; (ii) खण्ड (ग) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “;” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

				“(घ) प्रशासनिक शास्तियां अधिरोपित करने या उल्लंघनों का शमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; (ङ) शमन के लिए प्रक्रिया और संदेय रकम; और (च) उल्लंघनों का वर्गीकरण और उन पर लागू शास्तियों का मापमान।”।
4.	1958	48	राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958	(1) धारा 29 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “किन्हीं भी आदेशों” के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति “के विरुद्ध” से पूर्व अभिव्यक्ति “या धारा 32 के अधीन पारित शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश” अन्तःस्थापित की जायेगी। (2) विद्यमान धारा 32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- **“32. शास्ति और प्रक्रिया.-** (1) जो कोई भी- (क) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागारिक के रूप में कार्य करता है या उक्त रूप में अपने आपको धारित करता है; या (ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं में से किसी का भी जानबूझकर उल्लंघन करता है या पालन करने

				में विफल रहता है, तो वह शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगी जो विहित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् अधिरोपित की जा सकेगी। (2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन किसी कम्पनी या संगम या व्यक्तियों के किसी निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, द्वारा किया जाता है, वहां उसके कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति शास्ति के लिए दायी समझा जायेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना या सम्यक् तत्परता के बावजूद कारित किया गया था।"।
5.	1961	25	राजस्थान राज्य सहायता (उद्योग) अधिनियम, 1961	(1) धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- "(4) यदि कोई व्यक्ति- (क) उप-धारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश का, पालन करने में, पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है; या (ख) उप-धारा (3) के

				उल्लंघन में कोई सूचना जानबूझकर प्रकट करता है या प्रकट किया जाना अनुज्ञात करता है, तो वह धनीय शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाये: परन्तु ऐसी कोई भी शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना अधिरोपित नहीं की जायेगी।"। (2) विद्यमान धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा 9 जोड़ी जायेगी, अर्थात्:- **"9. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.-** इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।"।
6.	1962	12	राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962	(1) धारा 9 में, - (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराये जाने पर दौ सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पाँच सौ रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी" प्रतिस्थापित की जायेगी;

				(ii) उप-धारा (1) में, विद्‌यमान परन्तुक हटाया जायेगा; (iii) उप-धारा (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर 1000/- रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का दायी" प्रतिस्थापित की जायेगी; (iv) उप-धारा (2) में विद्‌यमान परन्तुक हटाया जायेगा; (v) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:- "(3) जहां उप-धारा (1) और (2) में यथा विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किसी कम्पनी द्‌वारा कारित किया जाता है, वहां प्रत्येक अधिकारी जो ऐसा उल्लंघन किये जाने के समय, कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, साथ ही कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन कारित करने के लिए उत्तरदायी समझी जायेगी और अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और

				तद्नुसार दण्डित किये जाने की दायी होगी: परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों में दण्डनीय नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि ऐसा उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया या यह कि उसने ऐसे अपराध के कारित किये जाने को निवारित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी। (4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उप-धारा (1) और (2) में विनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उल्लंघन कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या, मौनानुकुलता से या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य

					अधिकारी भी उस उल्लंघन का उत्तरदायी समझा जायेगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा। **स्पष्टीकरण.-** उप-धारा (3) और (4) के प्रयोजनार्थ,- (क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य कोई संगम सम्मिलित है, और (ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है। (5) इस धारा के अधीन शास्ति, आयुक्त या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। (6) इस धारा के अधीन कोई शास्ति, तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।"।

				(2) विद्यमान धारा 9क हटायी जायेगी।
7.	1964	1	राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963	(1) विद्यमान धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- **“40. धारा 5, धारा 22 की उप-धारा (1), (2), (3), धारा 23, 30 और 37 के उल्लंघन के लिए शास्ति.-** जो कोई भी धारा 5, धारा 22 की उप-धारा (1), (2), (3), धारा 23, 30 और 37 में अंतर्विष्ट किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है या उसका उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, तो वह- (क) प्रथम उल्लंघन के लिए, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जायें ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी, (ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें ऐसी शास्ति से जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।” (2) विद्यमान धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- **“42. कतिपय अपराधों का संज्ञान.-** इस

				अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार द्वारा की गई शिकायत के बिना नहीं करेगा।”। (3) धारा 43 में,- (i) उप-धारा (1) की सारणी के विद्यमान द्वितीय स्तंभ में, जहां कहीं भी आये, अंक “40” को, हटाया जायेगा; (ii) विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “(2) रजिस्ट्रार, धारा 22 की उप-धारा (4) या उप-धारा (5), धारा 29, धारा 38 और धारा 39 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कार्यवाही संस्थित किये जाने से पूर्व या उसके पश्चात् ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिस पर उक्त अपराध करने का आरोप लगाया गया है,

				अपराध के शमन के रूप में स्वीकार कर सकेगा।"।
8.	1992	19	राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989	विद्यमान धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- **"34. सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के लिए शास्ति.-** (1) जहां कोई व्यक्ति, धारा 9 की उप-धारा (3) या धारा 12 के उपबंधों के अनुपालन में विफल रहता है या, जहां ऐसी विफलता किसी संगम द्वारा की जाती है वहां, ऐसी विफलता के लिए उत्तरदायी प्रबंध समिति का प्रत्येक सदस्य, ऐसा व्यक्ति, ऐसी प्रशासनिक शास्ति, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, का संदाय करने का दायी होगा: परन्तु प्रबंध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का दायी नहीं होगा। (2) इस धारा के अधीन शास्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति या संगम को सुनवाई का युक्तिक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अधिरोपित की जायेंगी।
9.	1998	14	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998	(1) अध्याय 7 का विद्यमान नाम **"दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया"** के स्थान पर निम्नलिखित

				प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- **"शास्ति, दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया"।** (2) धारा 73 में,- (i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे प्रत्येक अतिक्रमण के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; (ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 74 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो

				सकेगी, के लिए दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (4) धारा 78 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 79 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) विद्‌यमान धारा 81 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- **"81. धारा 85 के उपबंधों के भंग के लिए शास्ति.-** जो कोई व्यक्ति धारा 85 के उपबंधों का भंग करता है, वह ऐसी शास्ति के लिए, जो निम्नानुसार है, - (i) प्रथम भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी; (ii) द्‌वितीय भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, किन्तु जो दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी; और

				(iii) तृतीय और पश्चात्वर्ती भंग के लिए ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।”। (7) धारा 82 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा।” प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) धारा 83 में, - (i) विद्यमान शीर्षक “83. अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.-” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- “83. शास्ति का अधिरोपण, अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.-”; (ii) विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा (4) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:- “(4) अध्याय 7

				के अधीन कोई भी शास्ति ऐसे अधिकारी द्वारा, जो कलक्टर की रैंक से नीचे का न हो, अधिरोपित नहीं की जायेगी।"। (9) धारा 87 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने विहित कर सकेगी, जो किसी भी मामले में, पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होंगे।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने या शास्ति विहित कर सकेगी, जो किसी भी दशा में, पांच हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी," प्रतिस्थापित की जायेगी।
10.	2009	18	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009	(1) धारा 126 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 169 में,- (i) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन

				जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसी और शास्ति, जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (ii) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय

				होंगे।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, और ऐसा कृत्य जारी रहने की दशा में, ऐसी और शास्ति, जो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा कृत्य जारी रहता है, दो सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 171 की उप-धारा (5) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसी और शास्ति, जो दो सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (4) धारा 183 की उप-धारा (4) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से

				दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 189 की उप-धारा (2) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और ऐसी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त शास्ति, जो पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) धारा 194 की उप-धारा (9) के खण्ड (ख) में विद्‌यमान अभिव्यक्ति, "किसी सक्षम न्यायालय द्‌वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने

				से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने के मामले में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये से, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो तीस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये की शास्ति का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (7) धारा 196 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) धारा 197 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ऐसे और जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का

				हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और प्रथम उल्लंघन के लिए दण्डित किये जाने की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, ऐसी और शास्ति, जो पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (9) धारा 202 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (10) धारा 209 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति, "दोषसिद्धि होने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना के मामले में बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस

				हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना की दशा में बीस हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (11) धारा 254 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसे और जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके लिए अपराधी के लिए यह सिद्ध हो कि वह लगातार अपराध करने में संलग्न रहा है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसी और शास्ति, जो उस उल्लंघन की तारीख के पश्चात्, जिसके लिए वह दण्डित किया गया है, प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (12) धारा 259 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति, "जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।", के स्थान पर

				अभिव्यक्ति, "शास्ति, जो पांच हजार रुपये से कम की नहीं होगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (13) धारा 260 की उप-धारा (1) में विद्‌यमान अभिव्‌यक्ति, "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, तथा ऐसी और शास्ति, जो प्रथम विफलता के लिए दण्डित किये जाने की तारीख के पश्‌चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (14) धारा 262 के खण्ड (ख) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक

				हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (15) धारा 266 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति, जो एक सौ रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (16) धारा 267 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (17) धारा 268 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और इसके पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति,

				"ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, और यदि शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् वही व्यक्ति उपर्युक्त उल्लिखित निदेशों के उल्लंघन में कोई कृत्य करता है तो, वह ऐसी शास्ति, जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी। (18) धारा 278 की उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी। (19) धारा 280 की उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति, जो एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (20) धारा 291 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर जुर्माने

				का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "ऐसी शास्ति जो दो हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, का दायी होगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी।
11.	2018	24	जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018	(1) धारा 59 की उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की या अधिकतम दस हजार रुपये से अधिक की नही होगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (2) धारा 60 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (3) धारा 61 में, विद्यमान

				अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (4) धारा 62 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन एक हजार रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (5) धारा 63 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी

				होगा जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (6) धारा 64 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा जो प्रतिदिन दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी, जो अधिकतम एक हजार रुपये तक की हो सकेगी।", प्रतिस्थापित की जायेगी। (7) धारा 66 में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।", के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिकतम दस हजार रुपये तक की हो सकेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी। (8) विद्‌यमान धारा 69 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:- **"69. शास्ति के लिए साधारण उपबंध.-** (1) जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है,

				जिसके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नही की गयी है, वह,- (क) प्रथम उल्लंघन के लिए, ऐसी शास्ति का, जो अधिकतम पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी; और (ख) द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए, ऐसी शास्ति का, जो दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा। (2) इस धारा और धारा 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 66 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ऐसे अधिकारी में निहित होगी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अभिहित करे।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य सरकार जीविका की सुगमता, कारबार करने की सुगमता में वृद्धि करने, और विश्वसनीयता आधारित विनिमयकारी वातावरण को प्रोन्नत करने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम विभिन्न राज्य विधियों के अधीन दण्डात्मक उपबंधों को छोटे, तकनीकी या प्रक्रियात्मक उल्लंघनों, जिनमें आपराधिक आशय या महत्वपूर्ण लोक अपहानि अंतर्वलित नहीं है, के गैर अपराधीकरण द्वारा युक्तिसंगत बनाना है।

यह पाया गया है कि अनेक विद्यमान अधिनियम छोटे उल्लंघन या तकनीकी चूक के लिए भी कारावास जैसी आपराधिक शास्तियां अधिरोपित करते हैं, जिससे अत्यधिक मुकदमेबाजी होती है, न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक भार पड़ता है, और व्यष्टियों, उद्यमकर्ताओं तथा कारबारों के लिए अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इसलिए, राज्य सरकार का विचार है कि विद्यमान उपबंधों के बजाय सिविल शास्तियां और प्रशासनिक मैकेनिज्म निवारक प्रयोजन की पूर्ति अधिक प्रभावपूर्ण रूप से कर सकता है।

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 में अभिव्यक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राज्य अधिनियमों का पुनर्विलोकन किया और पाया कि कई अधिनियमितियां संशोधित की जा सकती हैं। इस कारण से, ऐसी पुनर्विलोकित की गयी विधियों से आपराधिक उपबंधों को हटाना और उनके स्थान पर ऐसे उपबंधों को प्रतिस्थापित करना, जो सिविल प्रकृति के हैं, किन्तु अपना निवारक प्रभाव कायम रखेंगे, उचित माना गया। इस प्रकार, प्रस्तावित संशोधनों का लक्ष्य कारावास के स्थान पर धनीय शास्तियों के उपबंधों को प्रतिस्थापित करना है। ये संशोधन लोकहित की संरक्षा तथा जवाबदेही सुनिश्चत करने के लिए आवश्यक रक्षोपायों को बनाए रखते हुए, प्रशासनिक दक्षता और विनिमयकारी स्पष्टता को प्रोन्नत और राजस्थान राज्य में शासन के प्रति अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण को प्रोन्नत करते हैं।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए, उन्होंने 11 दिसम्बर, 2025 को राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग-IV(ख), में दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

जोगाराम पटेल,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

इस विधेयक की अनुसूची में निम्नलिखित क्रम संख्या के सामने उल्लिखित खण्ड/उपबंध, अधिनियमित होने पर, राज्य सरकार को प्रत्येक ऐसे क्रम संख्या के सामने उल्लिखित मामलों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

क्रम सं.	खण्ड	मामले
3.	(3)	अधिरोपित करने योग्य शास्ति विहित करना;
	(4)	अधिरोपित किये जाने योग्य शमनीय रकम और शास्ति अधिरोपित करने तथा उल्लंघन के शमन की रीति विहित करना;
4.	(2)	पचास हजार रुपये तक की शास्ति अधिरोपित करने हेतु सशक्त करने के लिए प्राधिकारी विहित करना;
5.	(1)	धनीय शास्ति जो पचास हजार रुपये तक की हो सकती है, अधिरोपित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करना;
7.	(1)	प्रथम उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपये तक की और द्वितीय और पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपये तक की शास्ति विहित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

जोगाराम पटेल,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ से विरुद्ध न हो,-

(1) से (2) XX XX XX XX XX XX

(3) "वन अपराध" से इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है;

(4) से (9) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

26. ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य.- (1) जो कोई व्यक्ति, आरक्षित वन में,-

(क) अतिचार करेगा या पशु चराएगा या पशुओं को अतिचार करने देगा;

(ख) किसी वृक्ष को गिराने, उखाड़ने, संपरिवर्तित करने या किसी इमारती लकड़ी को काटने या घसीटने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान पहुंचायेगा; या

(ग) किसी वृक्ष या उसके भाग को गिरायेगा, उखाड़ेगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, छेकेगा या उसे जलायेगा या उसकी छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा, या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा;

वह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1-क) से (3) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

33. धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए शास्तियां.- (1) जो कोई व्यक्ति-

(क) XX XX XX XX XX XX XX

(ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरायेगा या किसी इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचेगा कि यथापूर्वोक्त रूप में आरक्षित किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है; या

(ग) पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1-क) जो कोई व्यक्ति -

(क) से (ग) XX XX XX XX XX

(घ) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के सामीप्य में अपने द्वारा जलाई गई किसी आग को जलता छोड देगा; या

(ङ) XX XX XX XX

वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

52. अधिहरणीय सम्पति का अभिग्रहण और उसकी प्रक्रिया:- (1) XX XX XX XX XX XX

(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पति का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी सम्पति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा कि उस सम्पति का अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र, या तो उस अभिगृहित सम्पति को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत सहायक वनसंरक्षक की पंक्ति से अनिम्न के किसी अधिकारी के समक्ष (जिसे इस अध्याय में आगे प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) पेश करेगा या जहां सम्पति की मात्रा या परिमाण या अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उसे प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश करना व्यावहारिक न हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी को अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट देगा, या जहां अपराधी के विरूद्ध दांडिक कार्यवाहियां तुरन्त आरंभ किया जाना आशयित हो, वहां

ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को देगा, जो उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो:

परन्तु जब वह वन-उपज, जिसके बारे में यह विश्वास हो कि ऐसा अपराध हुआ है, राज्य सरकार की सम्पति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि, यथाशक्य शीघ्र, अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देता है, तो यह पर्याप्त होगा।

(3) से (5) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

68. अपराधों का शमन करने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध ऐसा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध, से भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, उस अपराध के लिए जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहित कर ले, और

(ख) XX XX XX XX XX XX

(2) से (3) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

87. नरेशों के कतिपय अधिकारों को अधिनियम क्षीण या प्रभावित नही करेगा.- इस अधिनियम की कोई बात, प्रसंविदाकारी राज्यों के नरेशों या उनके कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के शिकारगाहों, वन या अन्य स्थानीय क्षेत्रों में शिकार करने, मछली पकडने या ऐसे अन्य अधिकारों को जिन्हें नरेशों के साथ की गई प्रसंविदाओं और उनके सम्पार्श्विक दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त है, हानि नही पहुंचायेगी या अन्यथा प्रभावित नही करेगी।

XX XX XX XX XX

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

86. विधिविरुद्ध रूप से हटाये जाने पर शास्ति.- जो कोई धारा 83 या धारा 84 के समस्त उपबंधों या उनमें से किसी उपबंध का या उसके अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति के निबन्धनों, शर्तों या निर्बन्धनों में से किसी का उल्लंघन करता है, वह सहायक कलक्टर के द्वारा, उस को आवेदन या रिपोर्ट किये जाने पर दण्डनीय होगा:-

(क) प्रथम उल्लंघन के मामले में:

(i) जब कोई वृक्ष हटाया गया हो तो हटाये गये प्रत्येक वृक्ष के लिए एक सौ रुपये तक के जुर्माने से; और

(ii) अन्य मामलों में एक सौ रुपये तक के जुर्माने से; और

(ख) द्वितीय तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन के मामले में ऐसे जुर्माने से, जो जुर्माने की उस रकम से दुगना तक हो सकेगा, जो खण्ड (क) के अधीन अधिरोपित किया जा सकता है, और कोई वृक्ष या उसका काष्ठ जिसके बारे में ऐसा उल्लंघन किया गया है राज्य सरकार को समपहृत किया जा सकेगा।

XX XX XX XX XX

राजस्थान नौचालन विनियम अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 26) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

10. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण और निलंबन.- यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञपप्तिधारी, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के या अपनी अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त के भंग या अननुपालन का दोषी रहा है तो अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकता है।

XX XX XX XX XX

12. अपील.- (1) इस अधिनियम के अंतर्गत पारित:-

(क) से (ङ) XX XX XX XX XX

(च) ऐसे किसी अनुज्ञा-पत्र को रद्द या स्थगन करने वाली;
किसी भी आज्ञा के विरूद्ध अपील की जा सकेगी।

(2) से (3) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

14. शास्ति.- जो कोई भी इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसके लिए दुष्प्रेरण करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है, या धारा 13 के अधीन जारी की गयी ओर तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिसूचना के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भाड़ा प्रभारित करता है वह दोषसिद्धि पर पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

XX XX XX XX XX

16. नियम.- (1) XX XX XX XX

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों में निम्न बातों के लिए उपबंध किये जा सकते हैं-

(क) XX XX XX XX

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों के लिए प्रक्रिया हेतु, जिसमें अपीलों के लिए प्रक्रिया और अपीलों के लिए फीस सम्मिलित है; और

(ग) उन समस्त बातों के लिए जो इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन विहित की जानी हों या की जायें।

XX XX XX XX XX

राजस्थान भाण्डागार अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 48) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

29. विहित प्राधिकारी के कतिपय आदेशों के विरुद्ध अपीलें.- (1) विहित प्राधिकारी के किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जिसमें कोई अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीकरण करने से इंकार किया गया हो या किसी भाण्डागारिक से संबंधित ऐसी कोई अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की गई हो

अथवा धारा 17 के अधीन पारित किन्हीं भी आदेशों के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे समय के भीतर की जायेगी जो विहित किया जाये।

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

32. शास्ति और प्रक्रिया.- (1) जो कोई-

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त भाण्डागारिक के रूप में कार्य करता है या उक्त रूप में अपने आपको प्रकट करता है, या

(ख) इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों या अपेक्षाओं में से किसी का भी जानबूझ कर उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है,

वह एक वर्ष तक के कारावास से अथवा एक हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई अपनी या कोई संगम अथवा व्यक्तियों का कोई निकाय हो, चाहे वह निगमित हो या नहीं, वहां उक्त अपनी, संगम अथवा निकाय का कार्यप्रबंध करनेवाला प्रबंधक, सचिव, एजेन्ट या अन्य प्रधान अधिकारी उक्त अपराध का दोषी समझा जायेगा।

XX XX XX XX XX

राजस्थान राज्य सहायता (उद्‌योग) अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 25) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

6. निरीक्षण करने की शक्ति.- (1) से (3) XX XX XX

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

XX XX XX XX XX

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

9. शास्तियां.- (1) यदि कोई व्यक्ति-

(क) जिससे धारा 6 द्वारा, अभिलेख रखने या विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है, विहित रीति से या विहित प्ररूप में उन्हें रखने या प्रस्तुत करने में विफल रहता है; अथवा

(ख) आयुक्त या धारा 7 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम और नियमों के अधीन उसकी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किये जाने में साशय बाधा डालता है; या

(ग) किसी भी नियम का उल्लंघन करता है;

तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सिद्धदोष ठहराये जाने पर दो सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा:

परन्तु दो सौ रुपये तक किसी राशि का संदाय किये जाने पर विहित प्राधिकारी ऐसे किसी मामले का प्रशमन कर सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 6 में विनिर्दिष्ट ऐसा कोई अभिलेख रखता है या ऐसी कोई विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके मिथ्या होने, या किन्हीं भी तात्विक विशिष्टियों की दृष्टि से सही न होने को वह जानता है या विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण रखता है, तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर 1000/- रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा:

परन्तु विहित प्राधिकारी ऐसे किसी मामले का प्रशमन 1000/- रुपये से अनधिक की किसी राशि के संदाय पर कर सकता है।

9क. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय, कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, साथ

ही कम्पनी भी, अपराध की दोषी समझी जायेगी और स्वयं के प्रति कार्यवाही किये जाने तथा तदनुसार दंडित किये जाने की दायी होगी:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया या यह कि उसने उक्त अपराध का किया जाना रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात होने पर भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से की गयी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप है, वहां उक्त निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और स्वयं के प्रति कार्यवाही किये जाने तथा तदनुसार दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ,-

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य कोई संगम सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म में का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

XX XX XX XX XX

राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं. 1) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

40. धारा 5, 22, 23, 29, 30 और 37 के उल्लंघन के लिये दण्ड.- जो भी कोई धारा 5, 21, 22, 23, 29, 30 और 37 में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है या उसका उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, वह-

(क) प्रथम अपराध के लिये दो सौ रुपये तक के जुर्माने से,

(ख) द्वितीय या तदनुवर्ती किसी भी अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

XX XX XX XX XX

42. कतिपय अपराधों का संज्ञान.- धारा 5, 22 या 23 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिये धारा 40 के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।

43. अपराधों का प्रशमन.- (1) इससे ठीक आगे दी गई सारणी के प्रथम दो स्तम्भों में विनिर्दिष्ट विभिन्न धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराधों का प्रशमन उक्त सारणी के तृतीय स्तंभ में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।

अपराध	**लागू होने वाली धारा**	**व्यक्ति जिसके द्वारा अपराध प्रशमित किया जा सकता है।**
रसीद के बिना भुगतान लेना या हस्ताक्षरित सादा रसीद दिये बिना उधार के लिये रहन या गिरवी या प्रतिभूति के रूप में कोई वस्तु स्वीकार करना।	22(4) और (5), 40	ऋणी जिसके द्वारा या जिसकी ओर से भुगतान किया जाय या जिसके द्वारा वस्तु रहन, गिरवी या प्रतिभूति के रूप में रखी जाये।
धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन नियत अधिकतम दरों से अधिक दर पर ब्याज लगाना या वसूल करना।	29, 40	ऋणी जिसे जिस पर ब्याज लगाया जाय या जिससे ब्याज वसूल किया जाय।
साहूकारों द्वारा उधारों	30, 40	ऋणी, जिससे उधार

पर व्यय के लिये किसी रकम की वसूली		पर व्ययों के लिये कोई रकम वसूल की जाय।
बन्ध-पत्र आदि में गलत रकम लिखना	38	ऋणी जिससे दस्तावेज लिया जाये।
सताना	39	व्यक्ति जो सताया गया हो, या जिसको सताये जाने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया गया हो।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 40 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कार्यवाही संस्थित की जाने के पहले या पश्चात् ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिस पर उक्त अपराध का आरोप लगाया गया है, अपराध के प्रशमन के रूप में-

(क) धारा 22, उप-धारा (2), या 23 के उपबंधों के उल्लंघन के लिये अधिकतम 50/- रुपये तक;

(ख) धारा 5 के उपबंधों के उल्लंघन के लिये, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय अनुज्ञप्ति- फीसों की बकाया के अतिरिक्त अधिकतम पांच सौ रुपये तक स्वीकार कर सकेगा।

(3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

34. सचिव के कर्तव्यों का निर्वहण न करने के कारण शास्ति.- कोई व्यक्ति, जो धारा 9 की उप-धारा (3) या धारा 12 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या, जहां ऐसा कोई उल्लंघन किसी संगम द्वारा किया

जाता है वहां, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।

XX XX XX XX XX

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

अध्याय 7

दाण्डिक अपराध और प्रक्रिया

73. ऐसी लिखत के, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, निष्पादन, आदि के लिए शास्ति.- (1) जो व्यक्ति,-

(क) किसी विनिमय-पत्र जो मांग पर से अन्यथा देय है, या वचन-पत्र को सम्यक् रूप से किये बिना लिखेगा, बनायेगा, निर्गमित करेगा, पृष्ठांकित करेगा या अंतरित करेगा, या उस पर साक्षी के रूप से अन्यथा हस्ताक्षर करेगा अथवा प्रतिग्रहरण या भुगतान के लिए उपस्थित करेगा या उसके लिए दी जाने वाली कोई रकम प्रतिगृहीत करेगा, देगा या उसे प्राप्त करेगा या उसे किसी भी रीति से परक्रामित करेगा; या

(ख) शुल्क से प्रभार्य किसी अन्य लिखत को, उसे सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये बिना निष्पादित करेगा या उस पर साक्षी के रूप में से अन्यथा हस्ताक्षर करेगा; या

(ग) किसी परोक्षी के अधीन, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, मत देगा या मत देने का प्रयत्न करेगा,

वह ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु जब कि धारा 39, धारा 44 या धारा 71 के अधीन किसी लिखत की बाबत कोई शास्ति संदत्त की गयी है, तब ऐसी शास्ति की रकम, तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसी शास्ति संदत्त की है उसी लिखत की बाबत इस धारा के अधीन अधिरोपित किये गये जुर्माने में से, यदि कोई हो, कम कर दी जायेगी।

(2) यदि शेयर-वारण्ट सम्यक् रूप से स्टाम्पित किये गये बिना निर्गमित किया गया है तो उसे निर्गमित करने वाली कम्पनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उसके निर्गमित किये जाने के समय उस कम्पनी का प्रबंध निदेशक या सचिव या अन्य मुख्य अधिकारी है, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

74. चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षित है कि वह धारा 12 के अधीन किसी चिपकने वाले स्टाम्प को काट दे, उस धारा द्वारा विहित की गयी रीति से ऐसे स्टाम्प को काटने में त्रुटि करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

XX XX XX XX XX

78. पॉलिसी न लिखने या पॉलिसी जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, लिखने के लिए शास्ति.- जो कोई व्यक्ति,-

(क) किसी बीमे की संविदा के लिए कोई प्रीमियम या प्रतिफल प्राप्त करेगा या उसके लिए पावना लेगा और ऐसे प्रीमियम या प्रतिफल प्राप्त करने या उसके लिए पावना लेने के एक मास के भीतर ऐसे बीमे की सम्यक् रूप से स्टाम्पित पॉलिसी नहीं लिखेगा और उसे निष्पादित नहीं करेगा; या

(ख) कोई ऐसी पॉलिसी, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, लिखेगा निष्पादित करेगा या परिदत्त करेगा, या किसी ऐसी पॉलिसी पर या उसकी बाबत कोई धनराशि संदत्त करेगा या लेखांकित करेगा या देने या लेखांकित करने का करार करेगा;

वह जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

79. विनिमय-पत्रों या सामुद्रिक पॉलिसियों को जिनका संवर्गों में होना तात्पर्यित है, पूरी संख्या में न लिखने के लिए शास्ति.- जो कोई व्यक्ति, ऐसा विनिमय-पत्र, जो मांग से अन्यथा देय है या सामुद्रिक बीमा पॉलिसी, जिसका दो या अधिक के संवर्ग में लिखा जाना या निष्पादित किया जाना तात्पर्यित है, लिखेगा या निष्पादित करेगा, और साथ ही जो ऐसे विनिमय-पत्रों या पॉलिसियों को पूरी संख्या में, जिसमें ऐसे विनिमय-पत्र या पॉलिसी का संवर्ग में होना तात्पर्यित है, सम्यक् रूप से स्टाम्पित कागज पर नहीं लिखेगा या निष्पादित नहीं करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

XX XX XX XX XX

81. धारा 85 के उपबंधों के भंग के लिए शास्ति.- जो कोई व्यक्ति धारा 85 के उपबंधों का भंग करता है वह सिद्धदोष किये जाने पर,-

(i) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;

(ii) द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो दो सौ रुपये से कम नहीं होगा; और

(iii) तृतीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;

दण्डनीय होगा।

82. स्टाम्पों के विक्रय से संबंधित नियम के भंग और अप्राधिकृत विक्रय के लिए शास्ति.- (क) जो कोई व्यक्ति स्टाम्पों के विक्रय के लिए नियुक्त होते हुए धारा 86 के अधीन बनाये गये किसी नियम की अवज्ञा करेगा, और

(ख) जो कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त न होते हुए भी किसी स्टाम्प का (जो दस पैसे या पांच पैसे के चिपकने वाले स्टाम्प से भिन्न है) विक्रय करेगा या उसे विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा,

वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

83. अभियोजनों का संस्थित किया जाना और संचालन.- (1) से (3) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

87. साधारणत: अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणत: कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों द्वारा उसके भंग के लिए उपगत होने वाले जुर्माने विहित कर सकेगी, जो किसी भी मामले में, पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होंगे।

(2) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 19) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

126. दायित्व प्रकट करने की बाध्यता.- (1) XX XX XX

(2) यदि कोई निवासी, जिससे इस प्रकार जानकारी देने की अपेक्षा की जाये, जानकारी नहीं देता है या ऐसी जानकारी देता है जो असत्य है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा।

XX XX XX XX XX

169. अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति.- (1) XX XX

(2) कोई व्यक्ति, ऐसे नोटिस की तामील होने के पश्चात् भी, चाहे स्वयं के लिए या स्वामी या अन्य किसी भी व्यक्ति के निमित्त भूमि का विकास करना जारी रखता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) XX XX XX XX

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी अध्यपेक्षा आदेश का अनुपालन कर दिये जाने के पश्चात्, अप्राधिकृत विकास तत्पश्चात् भी जारी रखने वाला कोई व्यक्ति या उसके सहायक और कर्मकार, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अपराध जारी रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होंगे।

(5) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

171. भूखंड के उप-विभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी.-

(1) से (4) XX XX XX XX

(5) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे नोटिस की तामील हो जाने के पश्चात् भी, चाहे स्वयं के लिए या स्वामी के या किसी अन्य व्यक्ति के निमित्त, भूमि का विकास करना जारी रखता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और अननुपालन जारी रहने पर, नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, जिसमें ऐसा अननुपालन जारी रहा है या रहता है, ऐसे और जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "पुनर्गठन" से दो या अधिक भूखंडों के क्षेत्रफल या आकार में कोई परिवर्तन अभिप्रेत है।

XX XX XX XX XX

183. सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन.- (1) से (3) XX XX

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और नगरपालिका-

(क) निदेश देगी कि ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण रोक दिया जाये, और

(ख) लिखित नोटिस देकर, इस प्रकार निर्मित या पुनर्निर्मित भवन या उसके किसी भाग को तोड़ दिये जाने की अपेक्षा करेगी।

(5) XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

189. बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो काष्ठ जमा किया जायेगा और न गड्ढे खोदे जायेंगे.- (1) XX XX XX XX

(2) जो कोई उप-धारा (1) के उपबंधों में से किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और ऐसी प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहने वाले प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

194. समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबन्ध.-

(1) से (8) XX XX XX XX

(9) (क) 15 मीटर से अधिक की ऊँचाई वाले किसी भवन के पूर्ण होने के पश्चात् किन्तु इसके अधिभोग के पूर्व, भवन का स्वामी अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन (वास्तुविद्/अभियंता द्वारा सुरक्षा के प्रमाणपत्र और अन्य तथ्यों के सत्यापन के साथ) प्रस्तुत करेगा। मुख्य नगरपालिक अधिकारी, आवश्यक निरीक्षण की व्यवस्था करने के पश्चात् ऐसा प्रमाणपत्र जारी करेगा या ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उन त्रुटियों को, यदि कोई हों, जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो, हटाने के लिए कहेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि आवेदक ने मंजूर नक्शे का उल्लंघन नहीं किया है। यह स्वामी का उत्तरदायित्व होगा कि अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ऐसे भवन का अधिभोग न करे या अधिभोग किया जाना अनुज्ञात न करे;

(ख) जो कोई खण्ड (क) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह किसी सक्षम न्यायालय द्‌वारा दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने के मामले में, ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिवस के लिए, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपये से, दण्डित किया जायेगा।

(10) से (12) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

196. अनुज्ञा और संनिर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना.- (1) XX XX XX

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा।

197. मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना.- (1) XX XX

(2) जो कोई भी इस धारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है वह ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिवस या, यथास्थिति, रात्रि के लिए, जिसको ऐसा उल्लंघन जारी रहता है ऐसे और जुर्माने से, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

202. भवन से प्रभावी जल-निकास.- (1) से (3) XX XX

(4) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दिये गये नगरपालिकाओं के निदेशों की अवज्ञा करता है, वह दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

209. कारखानों, विद्‌यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालय का निर्माण.- (1) से (3) XX XX XX XX

(4) ऐसे स्थानों का प्रभारी व्यक्ति दोषसिद्धि होने पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा

किन्तु जो मुख्य नगरपालिक अधिकारी के आदेशों या निदेशों की अननुपालना के मामले में बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा।

XX XX XX XX XX

254. सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना.- जहां नगरपालिका में निहित किसी भूमि को या किसी सार्वजनिक स्थान को नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी यान अथवा जानवर को ठहराने के स्थान के रूप में या पड़ाव स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो उस यान या जानवर का स्वामी या पालक या, यथास्थिति, पड़ाव डालने वाला व्यक्ति दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का, जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और निरंतर उसके भंग की दशा में ऐसे और जुर्माने का, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके लिए अपराधी के लिए यह सिद्ध हो कि वह लगातार अपराध करने में संलग्न रहा है, पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

XX XX XX XX XX

259. कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना.- जो कोई अपने नियंत्रणाधीन किसी भवन अथवा भूमि से धारा 202 में यथा उपबंधित मल-वहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेता है या नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी होदी अथवा मल-नाली के पानी को, किसी अन्य तरल पदार्थ अथवा अन्य वस्तु को, जो दुर्गन्धपूर्ण है अथवा जिसके दुर्गन्धपूर्ण हो जाने की सम्भावना है, किसी मार्ग या खुले स्थान में बहाता है, निकालता है या फेंकता है, या किसी बाहरी दीवार में सोखने देता है अथवा इन कार्यों की अनुज्ञा देता है या किसी मल-नाली अथवा शौचालय से किसी दुर्गन्धपूर्ण पदार्थ को किसी मार्ग में सतह पर की नाली में बहाता है, निकालता है या फेंकता है, या ऐसा करने की अनुज्ञा देता है, या जो ऐसी अनुज्ञा में विहित किन्हीं शर्तों के पालन में विफल रहता है वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

260. गन्दे भवन आदि.- (1) जो कोई किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी या अधिभोगी होते हुए उसे गन्दी तथा अस्वास्थ्यकर हालत

में रखता है अथवा नगरपालिका की राय में पड़ोस में रहने वालों के लिए न्यूसेंस होने देता है, या उसमें नागफनी अथवा उग्रगन्ध तथा दुर्गन्धपूर्ण वनस्पति उगने देता है और नगरपालिका द्वारा उसे साफ करने अथवा कटवा डालने अथवा उसे अन्यथा अच्छी हालत में करने के लिखित नोटिस के पश्चात् युक्तियुक्त समय में ऐसे नोटिस में अन्तर्विष्ट अध्यपेक्षा की पालना नहीं करता है तो वह ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, तथा ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् उक्त नोटिस के अनुपालन में विफलता जारी रहने के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) से (5) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

262. कलुषित जल.- (क) XX XX

(ख) जो कोई नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना नगरपालिका के भीतर या उसकी सीमा पर किसी तालाब या खाई में किसी जानवर, सब्जी या खनिज पदार्थ को डालता है, जो ऐसे तालाब या खाई के पानी को संतापकारी अथवा न्यूसेंसकारी बना दे, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

266. कोई क्षोभकारी खेल खेलना.- जो कोई भी, उपेक्षा से पतंग उड़ाता है, या पटाखे अथवा अग्नि गुब्बारे छोड़ता है या जलाता है या किसी खेल में ऐसी रीति से लगता है कि वहां से गुजरने वाले या पड़ोस में निवास करने वाले या कार्य करने वालों को खतरा या क्षोभ कारित होता है या कारित होने की संभावना है या संपत्ति की क्षति का जोखिम कारित करता है वह ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

267. अन्य न्यूसेंसों का प्रतिषेध.- (1) XX XX XX

(2) जो कोई उप-धारा (1) के उपबन्धों में से किसी का भी उल्लंघन करता हैं, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

268. धुएं को खपा देना.- (1) XX XX XX

(2) ऐसे निदेश के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार अनिर्मित अननुपूरित या अपरिवर्तित भट्ठी का उपयोग करेगा या उसका उपयोग करने की अनुमति देगा या इतनी उपेक्षा से ऐसी किसी भट्ठी का उपयोग करेगा अथवा उपयोग करने की अनुमति देगा कि उससे निकलने वाला धुआं प्रभावकारी ढंग से नहीं खपाया जाये अथवा यथासाध्य नष्ट न किया जाये तो उक्त कार्यों अथवा भवनों का स्वामी या अधिभोगी होते हुए इस प्रकार का अपराध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अथवा उसका प्रबन्ध करने हेतु ऐसे स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा नियोजित कोई अभिकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और इसके पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी रेलपथ पर यातायात के प्रयोजन के लिए या सड़को की मरम्मत के लिए उपयोग में लाये जाने वाले लाकोमोटिव इंजन के लिए लागू नहीं समझी जायेगी।

XX XX XX XX XX

278. श्मशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने की शक्ति.-

(1) से (3) XX XX XX XX

(4) जो कोई-

(क) उप-धारा (1) के अधीन मंजूर की गयी अथवा नवीकृत श्मशान भूमि के संबंध में किसी अनुज्ञप्ति का धारक होते हुए श्मशान भूमि पर विक्रय किये जाने वाले ईंधन या अन्य वस्तुओं का उप-धारा (3) के अधीन नगरपालिका द्वारा नियत दर से ऊंची दर पर विक्रय करता है, या

(ख) उप-धारा (2) के अधीन उसकी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण अथवा प्रत्याहरण हो जाने पर भी ऐसे विक्रय को जारी रखता है, या

(ग) इस प्रकार प्राधिकृत किया गया व्यक्ति न होते हुए कोई व्यक्ति ऐसे श्मशान के तीन सौ मीटर के भीतर जिसके संबंध में उप-धारा (1) के अधीन मंजूर अथवा नवीकृत की गयी अनुज्ञप्ति प्रवृत्त है, कोई ऐसा ईंधन अथवा अन्य वस्तु का विक्रय करता है,

ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, अनुज्ञप्ति के रद्द किये जाने का और भागी होगा।

XX XX XX XX XX

280. नगरपालिक क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों का हटाया जाना.-

(1) से (4) XX XX XX XX XX

(5) जो कोई इस धारा की उप-धारा (2) अथवा उप-धारा (3) के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हुए, ऐसा कार्य करने से चूक करेगा, तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

XX XX XX XX XX

291. अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के भंग के लिए शास्ति, जो अन्यथा उपबन्धित नहीं है.- जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन किसी नियम, उप-विधि या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या इसके अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश की अनुपालना करने में विफल रहता है, जिसके उल्लंघन या विफलता के लिए इस अधिनियम, या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, दोषसिद्धि पर जुर्माने का, जो दो हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

XX XX XX XX XX

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम सं. 24) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

59. जल की बरबादी या दुरुपयोग.- (1) से (3) XX XX

(4) जो कोई भी, जल की बरबादी या दुरुपयोग जारी रखता है वह दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

60. घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किये गये जल का गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग.- जो कोई, घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रदाय किये गये जल का गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है या उपयोग किया जाना अनुज्ञात करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

61. बोर्ड मलनाली या बोर्ड मलनालियों से जुड़ने वाली मलनालियों की अंतर्वस्तु के मुक्त प्रवाह को नुकसान या हस्तक्षेप पहुंचाना.- जो कोई धारा 41 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

62. लिखित अनुज्ञा के बिना बोर्ड मलनालियों से कनेक्शन.- जो कोई धारा 50 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये तक, प्रतिदिन एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

63. लिखित अनुज्ञा के बिना निजी नाली का बोर्ड मलनालियों से कनेक्शन नहीं किया जाना.- जो कोई धारा 44 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

64. बोर्ड की मलवहन लाइन या मल शोधन संकर्म के ऊपर भवनों या निजी मार्गों का परिनिर्माण या संनिर्माण.- जो कोई धारा 51 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम एक हजार रुपये तक, प्रतिदिन दो सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

66. अनुज्ञप्तिधारी अभियंता या अनुज्ञप्तिधारी प्लंबर द्वारा विनियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना या विहित प्रभारों से अधिक प्रभारों की मांग नहीं किया जाना.- जो कोई धारा 73 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, सादा कारावास से जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या अधिकतम दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

69. अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध.- जो कोई, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति उपबंधित नहीं की गयी है, उल्लंघन किये जाने पर,-

(क) प्रथम अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा; और

(ख) द्वितीय या किसी भी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा,

दण्डित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX

<u>Bill No. 4 of 2026</u>

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) Bill, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 7^{th} January, 2026.

2. Amendment of certain enactments.- The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.

3. Savings.- The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognized or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;

nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

4. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 2 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

THE SCHEDULE

(See section 2)

S. N. (1)	**Year (2)**	**Act No. (3)**	**Short Title (4)**	**Amendments (5)**
1.	1953	13	The Rajasthan Forest Act, 1953	(1) In clause (3) of section 2, after the existing expression "an offence punishable" and before the existing expression "under this Act", the expression "or liable to a penalty" shall be inserted. (2) In section 26,- (i) the existing clauses (a) and (b) of sub-section (1) shall be deleted; (ii) after the existing sub-section (1-A), the following new sub-section shall be inserted,

				namely:- "(1-B) Any person who in a reserved forest,- (a) trespasses or pastures cattle, or permits cattle to trespass shall be liable to penalty which may extend to five hundred rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68; (b) causes any damage by negligence in felling any tree or cutting or dragging any timber shall be liable to penalty which may extend to five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68.". (3) In section 33,- (i) the existing clauses (b) and (c) of sub-section (1) shall be deleted; (ii) the existing clause (d) of sub-section (1-A) shall be deleted; (iii) after the existing sub-section (1-A), the following new sub-section shall be inserted, namely:- "(1-B) Any person who in a protected forest,- (a) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any tree reserved under section 30, whether

				standing, fallen or felled, or closed portion of any protected forest, shall be liable to penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68; (b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid, shall be liable to penalty which may extend to five thousand rupees, in addition to such compensation for damage done to the forest as determined by a Forest-Officer empowered under section 68.”. (4) In proviso to sub-section (2) of section 52, for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and after sub-section (2) so amended, the following new proviso shall be added, namely:- “Provided further that the forest offence in respect of which the seizure has been made under sub-section (1) may be compounded under section 68 of the Act, if it is established on record that person(s) committing the offence and the machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article seized under sub-section (1) and the person who may have some interest in such property seized have not

				been involved in the commission of any forest offence under the Act prior to this offence.”. (5) In section 68,- (i) the existing heading shall be substituted by the following heading, namely:- “**68. Power to compound offences and impose penalties**.-”; (ii) for the existing word “and” occurring in clause (a) of sub-section (1), the word “or” shall be substituted; (iii) after the clause (a) of sub-section (1) so amended, the following new clause shall be inserted, namely:- “(aa) to accept from any person a sum of money by way of penalty or compensation for violation of sub-section (1-B) of section 26 or sub-section (1-B) of section 33, and”. (6) The existing section 87 shall be deleted.
2.	1955	3	The Rajasthan Tenancy Act, 1955	For the existing section 86, the following shall be substituted, namely:- “**86. Penalties of unlawful removal.-** Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be liable to a penalty which may be imposed by an Assistant Collector on an application or a report made to him- (a) in the case of a first

				contravention: (i) where a tree has been removed, to a penalty which may extend to one thousand rupees for each tree that has been removed; and (ii) in other case, to a penalty which may extend to one thousand rupees; and (b) in the case of a second or subsequent contravention, to a penalty which may extend to double the amount of penalty that can be imposed under clause (a), and any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be forfeited to the State Government.”.
3.	1956	26	The Rajasthan Regulation of Boating Act, 1956	(1) In section 10, for the existing expression “if the licensee has been guilty of”, the expression “if it is found that the licensee has ever been penalised under section 14 for” shall be substituted. (2) In clause (f) of sub-section (1) of section 12, for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the words “; or” shall be substituted and after clause (f) so amended, the following new clause shall be inserted, namely:- “(g) imposition of any penalty under section 14 or compounding of contravention under section 14A.”. (3) For the existing section 14, the following shall be substituted, namely:- “**14. Penalty.-** (1) Whoever commits or abets, or attempts to

				commit a contravention of any of the provisions of this Act, or charges any fares contrary to the provisions of any notification issued under section 13 for the time being in force, shall be liable to pay a penalty which may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the authority prescribed in the rules. (2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable as arrears of land revenue.". (4) After section 14 so amended, the following new section shall be inserted, namely:- "**14A. Compounding of contraventions.-** (1) The authority may either before or after the institution of proceedings, compound any contravention under this section on payment of such sum, not exceeding the maximum amount of penalty imposable, as may be prescribed. (2) The manner of imposing penalty and compounding of contravention shall be such as may be prescribed.". (5) In sub-section (2) of section 16,- (i) in clause (b), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted; (ii) in clause (c), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted and after clause (c) so amended, the

				following new clauses shall be inserted, namely:- “(d) the authority competent to impose administrative penalties or to compound contraventions; (e) the procedure for compounding and the amount payable; and (f) the classification of contraventions and the scale of penalties applicable thereto.”.
4.	1958	48	The Rajasthan Warehouses Act, 1958	(1) In sub-section (1) of section 29, after the existing expression “any orders passed under section 17” and before the existing expression “shall be made to such authority”, the expression “or any order passed under section 32 imposing penalty” shall be inserted. (2) For the existing section 32, the following shall be substituted, namely:- “**32. Penalty and procedure.-** (1) Whoever**-** (a) acts, or holds himself out, as a licensed warehouseman without having obtained a licence under this Act; or (b) knowingly contravenes or fails to comply with any of the provisions or requirements of this Act or the rules made thereunder, shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the prescribed authority after giving a reasonable opportunity of being heard. (2) Where a contravention under sub-section (1) is committed by a company or an association or a body of persons,

				whether incorporated or not, the person responsible for the conduct of its business shall be deemed to be liable to the penalty unless such person proves that the such contravention was committed without his knowledge or despite due diligence.".
5.	1961	25	The Rajasthan State Aid to Industries Act, 1961	(1) In section 6, the existing sub-section (4), shall be substituted by the following, namely:- "(4) If any person- (a) fails, without sufficient cause, to comply with an order issued under sub-section (1); or (b) knowingly discloses or allows to be disclosed any information in contravention of sub-section (3), he shall be liable to a monetary penalty which may extend to fifty thousand rupees, as may be imposed by the competent authority authorised by the State Government: Provided that no such penalty shall be imposed without giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard.". (2) After the existing section 8, the following new section 9 shall be added, namely:- "**9. Act to be in addition to any other law.-** The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.".

6.	1962	12	The Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962	(1) In section 9,- (i) in sub-section (1), for the existing expression ",on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding two hundred rupees:", the expression "to a penalty not exceeding five hundred rupees." shall be substituted; (ii) in sub-section (1), the existing proviso shall be deleted; (iii) in sub-section (2), for the existing expression ", on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding Rs. 1000/-.", the expression "to a penalty not exceeding two thousand rupees." shall be substituted; (iv) in sub-section (2), the existing proviso shall be deleted; (v) after the existing sub-section (2) so amended, the following new sub-sections shall be added, namely:- "(3) Where any contravention as specified in sub-section (1) and (2) is committed by a company, every officer who at the time of commission of such contravention was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be responsible for commission of such contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing

					contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the contravention was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where any contravention specified in sub-section (1) and (2) has been committed by a company and it is proved that the contravention has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be responsible of that contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. **Explanation.-** For the purpose of sub-sections (3) and (4),- (a) “company” means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) “director” in relation to a firm means a partner in the firm. (5) Penalty under this section may be imposed by the Commissioner or any officer

				authorised in this behalf by the State Government. (6) No penalty under this section shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard is afforded to the person concerned.". (2) The existing section 9A shall be deleted.
7.	1964	1	The Rajasthan Money Lenders Act, 1963	(1) For the existing section 40, the following shall be substituted, namely:- "**40. Penalty for contravention of section 5, sub-sections (1), (2), (3) of section 22, sections 23, 30 and 37.-** Whoever fails to comply with, or acts in contravention of, any provision contained in section 5, sub-sections (1), (2), (3) of section 22, sections 23, 30 and 37 shall be liable- (a) for the first contravention, to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees, subject to rules as may be prescribed, (b) for the second or subsequent contravention, to a penalty which may extend to fifty thousand rupees, subject to rules as may be prescribed.". (2) The existing section 42 shall be substituted by the following, namely:- "**42. Cognizance of certain offence.-**No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by the Registrar.". (3) In section 43,- (i) in the existing second

				column of the table of sub-section (1), the figure "40" wherever occurred, shall be deleted; (ii) the existing sub-section (2) shall be substituted by the following, namely:- "(2) The Registrar may, either before or after the institution of proceedings for the offence punishable under sub-section (4) or sub-section (5) of section 22, section 29, section 38 and section 39, accept amount from any person charged with such offence by way of composition of the offence committed.".
8.	1992	19	The Rajasthan Non-Government Educational Institutions Act, 1989	The existing section 34, shall be substituted by the following, namely:- "**34. Penalty for failure to discharge duties of Secretary.-** (1)Where any person fails to comply with the provisions of sub-section (3) of section 9 or section 12 or, where such failure is committed by an association, every member of the managing committee responsible for such failure, shall be liable to pay an administrative penalty which may extend to two lakh rupees: Provided that such member of the managing committee, who has not participated in it or, who has not agreed upon such decision, shall not be liable to any penalty

				under this section. (2) The penalties under this section shall be imposed by the Competent Authority after giving the person or association a reasonable opportunity of being heard.”.
9.	1998	14	The Rajasthan Stamp Act, 1998	(1) The existing title of CHAPTER VII “**Criminal Offences and Procedure**”, shall be substituted by the following, namely:- “**Penalty, Criminal Offences and Procedure**”. (2) In section 73,- (i) in sub-section (1), for the existing expression “shall for every such offence be punishable with fine which may extend to five thousand rupees”, the expression “shall for every such violation be liable for penalty which may extend to five thousand rupees” shall be substituted; (ii) in sub-section (2), for the existing expression “shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.”, the expression “shall be liable for penalty which may extend to five thousand rupees.” shall be substituted. (3) In section 74, for the existing expression “shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.”, the expression “shall be liable for penalty which may extend to one thousand rupees.” shall be

				substituted. (4) In section 78, for the existing expression "shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.", the expression"shall be liable for penalty which may extend to two thousand rupees." shall be substituted. (5) In section 79, for the existing expression "shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees", the expression "shall be liable for penalty which may extend to one thousand rupees"shall be substituted. (6) The existing section 81 shall be substituted by the following, namely:- "**81. Penalty for breach of provisions of section 85**.- Any person who commits a breach of the provisions of section 85 shall be liable for penalty as under,- (i) for a first breach with penalty which may extend to five hundred rupees; (ii) for a second breach with penalty which may extend to one thousand rupees, but which shall not be less than two hundred rupees; and (iii) for a third and subsequent breach with penalty which may extend to two thousand rupees.". (7) In section 82, for the existing expression "shall be punishable with imprisonment for a term which may

				extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.", the expression "shall be liable for penalty which may extend to five thousand rupees." shall be substituted. (8) In section 83,- (i) the existing heading "**83. Institution and conduct of prosecutions.-**" shall be substituted by the following, namely:- "**83. Imposition of Penalty, Institution and conduct of prosecutions.-**"; (ii) after the existing sub-section (3), the following new sub-section (4) shall be added, namely:- "(4) No penalty under Chapter VII shall be imposed by an officer not below the rank of Collector.". (9) In sub-section (1) of section 87, for the existing expression "the fines, which shall in no case exceed five thousand rupees," the expression "the fines or penalties which shall in no case exceed five thousand rupees except as otherwise provided in the Act," shall be substituted.
10.	2009	18	The Rajasthan Municipalities Act, 2009	(1) In sub-section (2) of section 126, for the existing expression "upon conviction to a fine, which may extend to one thousand rupees.", the expression "to a penalty which may extend to one thousand rupees." shall be substituted. (2) In section 169,- (i) in sub-section (2), for the existing expression ", on conviction, be punished

				with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.", the expression "be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further penalty which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues." shall be substituted; (ii) in sub-section (4), for the existing expression ", on conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in case of continuing offence, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which such offence continues after the conviction for the first commission of the offence.", the expression "be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees and in case such act continues, with a further

				penalty which may extend to two hundred rupees for every day during which such act continues." shall be substituted. (3) In sub-section (5) of section 171, for the existing expression ", on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.", the expression "be liable to a penalty which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further penalty which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues." shall be substituted. (4) In sub-section (4) of section 183, for the existing expression "punishable on conviction with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees", the expression "liable to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees" shall be substituted. (5) In sub-section (2) of section 189, for the existing expression "punished with fine

				which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or, night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with a further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or, night, as the case may be, on which such contravention continues." shall be substituted. (6) In clause (b) of sub-section (9) of section 194, for the existing expression ", on conviction by a competent Court, be punished with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing contravention, with fine of five hundred rupees for each day of contravention, till such contravention continues.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing contravention, with penalty of five hundred rupees for each day of contravention, till such contravention continues." shall be

				substituted. (7) In sub-section (2) of section 196, for the existing expression "punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees." shall be substituted. (8) In sub-section (2) of section 197, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first contravention penalised." shall be substituted. (9) In sub-section (4) of section 202, for the existing expression ", on conviction, be punished with a fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than two thousand

				rupees but which may extend to five thousand rupees." shall be substituted. (10) In sub-section (4) of section 209, for the existing expression "punished, on conviction, with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees in case of non-compliance of the orders or directions of the Chief Municipal Officer.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees in case of non-compliance of the orders or directions of the Chief Municipal Officer." shall be substituted. (11) In section 254, for the existing expression "on conviction to fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing breach to a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence.", the expression "to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing breach to a further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the contravention

				for which he has been penalised." shall be substituted. (12) In section 259, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than five thousand.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than five thousand rupees." shall be substituted. (13) In sub-section (1) of section 260, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day on which the failure to comply with the said notice is continued after the date of the first conviction.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further penalty which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day on which the failure to comply with the said notice is continued after the date of first failure penalised." shall be substituted. (14) In clause (b) of section 262, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.",

				shall be substituted. (15) In section 266, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees." shall be substituted. (16) In sub-section (2) of section 267, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees." shall be substituted. (17) In sub-section (2) of section 268, for the existing expression "punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and upon any subsequent conviction, which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees:", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and if after the imposition of the penalty the same person does any act in contravention of aforementioned directions, he shall be liable to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may

				extend to five thousand rupees:" shall be substituted. (18) In sub-section (4) of section 278, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees" shall be substituted. (19) In sub-section (5) of section 280, for the existing expression "punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.", the expression "liable to a penalty which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees." shall be substituted. (20) In section 291, for the existing expression "on conviction to fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.", the expression "to a penalty which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees." shall be substituted.
11.	2018	24	The Jaipur Water Supply and Sewerage Board Act, 2018	(1) In sub-section (4) of section 59, for the existing expression "on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or a daily fine of rupees one thousand per day or maximum of rupees ten thousand.", the expression

				"be liable to a penalty which shall not be less than rupees one thousand per day or maximum of rupees ten thousand." shall be substituted. (2) In section 60, for the existing expression "on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.", shall be substituted. (3) In section 61, for the existing expression "on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand." shall be substituted. (4) In section 62, for the existing expression "on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand." shall be substituted. (5) In section 63, for the existing expression "on conviction be punished

				with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand." shall be substituted. (6) In section 64, for the existing expression "on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.", the expression "be liable to a penalty which shall not be less than rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand." shall be substituted. (7) In section 66, for the existing expression "on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or upto a maximum fine of rupees ten thousand.", the expression "be liable to a penalty which may extend upto a maximum of rupees ten thousand." shall be substituted. (8) For the existing section 69, the following shall be substituted, namely:- "**69. General provision for penalty.–** (1) Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder, for which no specific penalty is provided for, shall be liable, - (a) for the first contravention, for a penalty which may extend upto a maximum of

				five thousand rupees; and (b) for a second or any subsequent contravention, for a penalty which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend upto one lakh rupees. (2) The power to impose penalties under this section and under sections 59, 60, 61, 62, 63, 64 and 66 shall vest in such officer as may be designated by the State Government, by notification in the Official Gazette.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government of Rajasthan is committed to enhancing ease of living, ease of doing business, and promoting a trust-based regulatory environment. A key step in this direction is to rationalize penal provisions under various State laws by decriminalizing minor, technical, or procedural contraventions which do not involve criminal intent or significant public harm.

It is found that many existing Acts impose criminal penalties such as imprisonment even for minor contravention or technical lapse, leading to excessive litigation, overburdening of the judicial system, and creating unnecessary hardship for individuals, entrepreneurs, and businesses. Therefore, the State Government considers that civil penalties and administrative mechanisms can serve the purpose of deterrence more effectively rather than existing provisions.

Taking into account the principle expressed in the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 enacted by Government of India, the State Government did review the State Acts and found that several enactments may be amended. For this reason, it was considered appropriate to remove the criminal provisions from such did review laws, and to replace them with provisions that are civil in nature but will retain their deterrent effect. Thus proposed amendments aim to substitute provisions of imprisonment with monetary penalties. These amendments promote administrative efficiency and regulatory clarity, while maintaining necessary safeguards to protect public interest and ensure accountability and promote a more facilitative approach to governance in the State of Rajasthan.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore promulgated the Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 2 of 2025) on 11th December, 2025 which was published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part- IV (B), dated 12th December, 2025.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

जोगाराम पटेल,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The clause/provision appearing against the following serial number in the Schedule of this Bill shall, upon enactment, empower the State Government to make rules with respect to matters noted against each such Serial number:-

Serial No.	**Clause**	**Matters**
3.	(3)	prescribing the penalty imposable;
	(4)	prescribing the composition amount imposable and the manner of imposing penalty and compounding of contravention;
4.	(2)	prescribing the authority empowering to impose penalty upto fifty thousand rupees;
5.	(1)	authorising the competent authority to impose monetary penalty which may extend to fifty thousand rupees;
7.	(1)	prescribing the penalty upto twenty five thousand rupees for the first contravention and upto fifty thousand rupees for the second or subsequent contravention;

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

जोगाराम पटेल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN FOREST ACT, 1953
(Act No. 13 of 1953)

XX XX XX XX XX XX

2. Definitions. - In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context: -

(1) to (2) xx xx xx xx xx

(3) "Forest offence" means an offence punishable under this Act or under any rule made thereunder;

(4) to (9) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

26. Acts prohibited in such forests.– (1) Any person who, in a reserved forest-

(a) trespasses, or pastures cattle, or permits cattle to trespass;

(b) causes any damage by negligence in felling, uprooting, converting any tree or cutting or dragging any timber; or

(c) fells, uproots, girdles, lops, taps, or burns any tree, or part thereof, or strips off the bark or leaves from, or otherwise damages, the same;

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both, in addition to such compensation for damage done to the forest as the convicting court may direct to be paid.

(1-A) to (3) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

33. Penalties for acts in contravention of notification under Section 30 or Rules under Section 32.– (1) Any person who-

(a) xx xx xx xx xx

(b) fells any tree or drags any timber so as to damage any tree reserved as aforesaid; or

(c) permits cattle to damage any such tree, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(1-A) Any person who-

(a) to (c) xx xx xx xx xx

(d) leaves burning any fire kindled by him in the vicinity of any such tree or closed portion; or

(e) xx xx xx xx xx

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees or with both.

(2) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

52. Seizure of property liable to confiscation and procedure therefore: - (1) xx xx xx xx

(2) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, either produce the property seized before an officer not below the rank of an Assistant Conservator of Forests authorised by the State Government in this behalf by notification (hereinafter in this Chapter referred to as the authorised officer) or where it is, having regard to quantity or bulk or other genuine difficulty, not practicable to produce property seized before the authorised officer, make a report about the seizure to the authorised officer, or where it is intended to launch criminal proceedings against the offender immediately, make a report of such seizure to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made:

Provided that, when the forest produce with respect to which such offence is believed to have been committed is the property of State Government and the offender is unknown, it shall be sufficient if the officer makes, as soon as may be, a report of the circumstances to his official superior.

(3) to (5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

68. Power to compound offence.- (1) the State Government may, by notification in the Official Gazette, empower a Forest Officer.-

(a) to accept from any person against whom reasonable suspicion exists that he has committed any forest offence other than an offence specified in Section 62 or Section 63 a sum of money by way of compensation for the offence which such person is suspected to have committed, and

(b) xx xx xx xx xx

(2) to (3) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

87. Act and to affect or impair certain rights of Rules. - Nothing in this Act shall impair or otherwise affect such shooting, fishing or other rights of Rulers of covenanting State or the members of their families as have been recognized in shikargahs, forests or other local areas by virtue of covenants entered into with the Rulers or documents collateral thereto.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955
(ACT NO. 3 OF 1955)

XX XX XX XX XX XX

86. Penalties for unlawful removal.- Whoever contravenes all or any of the provisions of section 83 or section 84 or any of the terms, conditions or restrictions of a licence granted thereunder shall be punishable by an Assistant Collector on an application or a report made to him.

(a) in the case of a first contravention:

(i) where a tree has been removed, with fine which may extend to one hundred rupees for each tree that has been removed; and

(ii) in other case, with fine which may extend to one hundred rupees; and

(b) in the case of a second or subsequent contravention, with fine which may extend to double the amount of fine that can be imposed under clause (a), and any tree or timber thereof in respect of which such contravention shall have been committed may be forfeited to the State Government.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN REGULATION OF BOATING ACT, 1956
(ACT NO. 26 OF 1956)

XX XX XX XX XX XX

10. Cancellation or suspension of licence.- The licensing officer may, after giving the licensee a reasonable opportunity of being heard, cancel or suspend a license, if the licensee has been guilty of a breach or non-observance of any of the provisions of

this Act or the rules made under this Act or of any condition of his licence.

XX XX XX XX XX XX

12. Appeal.- (1) An appeal shall lie from any order passed under this Act-

(a) to (e) xx xx xx xx xx

(f) cancelling or suspending any such license.

(2) to (3) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

14. Penalty.- Whoever commits or abets, or attempts to commit a contravention of any of the provisions of this Act, or charges any fares contrary to the provisions of any notification issued under section 13 and for the time being in force shall on conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

XX XX XX XX XX XX

16. Rules.- (1) xx xx xx xx xx

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, rules made under sub-section (1) may provide for-

(a) xx xx xx xx xx

(b) the procedure for officers authorised under this Act, including the procedure for appeals and the fees for appeals' and

(c) all matters that are to be or may be prescribed under any provision of this Act**.**

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN WAREHOUSES ACT, 1958 (ACT NO. 48 OF 1958)

XX XX XX XX XX XX

29. Appeals against certain orders of prescribed authority- (1) An appeal against any order of the prescribed authority refusing to grant or renew a licence or suspending or cancelling any such licence in respect of a warehouseman or any orders passed under section 17 shall be made to such authority and within such time as may be prescribed.

(2) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

32. Penalty and procedure - (1) Whoever -

(a) Acts, or holds himself out, as a licensed warehouseman without having obtained a licence under this Act, or
(b) Knowingly, contravenes or fails to comply with any of the provisions or requirements of this Act or the rules,

Shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) Where a person committing an offence under sub-section (1) is a company or an association or a body of persons, whether in- corporated or not, the Manager, Secretary, agent or other principal officer, managing the affairs of such company, association or body, shall be deemed to be guilty of such offence.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STATE AID TO INDUSTRIES ACT, 1961 (ACT NO. 25 OF 1961)

XX XX XX XX XX XX

6. Power of inspection.— (1) to (3) xx xx xx

(4) If any person contravenes the provisions of sub-Section (1) or sub-section (3), he shall be punishable with imprisonment of either description which may extend to six months or with fine which may extend to Rs. 5,000/- or with both.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962 (ACT NO. 12 OF 1962)

XX XX XX XX XX XX

9. Penalties.- (1) If any person—

(a) required by section 6 to keep record or to submit return fails to keep or submit the same in the prescribed manner or form; or
(b) intentionally obstructs the Commissioner or any other officer appointed under section 7 in the exercise of his powers and duties under this Act and the rules; or
(c) contravenes any rule;

he shall be liable, on conviction before a magistrate, to a fine not exceeding two hundred rupees:

Provided that the prescribed authority may compound such a case on payment of a sum not exceeding two hundred rupees.

(2) If any person keeps any record or submits any return specified in section 6, which he knows or has reasonable cause to believe, to be false, or not true in any material particulars, he shall be liable, on conviction before a Magistrate, to a fine not exceeding Rs. 1000/-:

Provided that the prescribed authority may compound such a case on payment of a sum not exceeding Rs. 1000/-.

9A. Offences by companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every officer who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation:— For the purpose of this section,—

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MONEY LENDERS ACT, 1963

(ACT NO. 1 OF 1964)

XX XX XX XX XX XX

40. Punishment for contravention of sections 5, 22, 23, 29, 30 and 37.— Whoever fails to comply with, or acts in contravention of, any provision contained in sections 5, 21, 22, 23, 29, 30 and 37 shall be punishable—

(a) for the first offence, with fine which may extend to two hundred rupees,

(b) for the second or subsequent offence, with fine which may extend to five hundred rupees.

XX XX XX XX XX XX

42. Cognizance of certain offence.— No court shall take cognizance of any offence punishable under section 40 for contravening the provisions of sections 5, 22 or 23, except with the previous sanction of the Registrar.

XX XX XX XX XX XX

43.Compounding of offences.— (1) The offences punishable under various sections specified in the first two columns of the table next following may be compounded by the persons mentioned in the third column of that table:—

Offence	Section	applicable Person by whom offence may be compounded
Receiving payment without a receipt or accepting any article as pawn or pledge or security for a loan without giving a plain signed receipt.	22 (4) and (5), 40	The debtor by whom or on whose behalf payment is made or by whom the article is pawned, pledged or given as security.
Charging or receiving interest at a rate exceeding the maximum rates fixed under sub-section (1) of section 29	29,40	The debtor from whom the interest is charged or received.
Charging any sum for expenses on loan by money-lenders.	30,40	The debtor from whom any sum for expenses on loan is charged.
Entering of wrong sum in bond etc.	38	The debtor from whom the document is taken.

Molestation	39	The person molested or the molestation of whom was abetted.

(2) The Registrar may, either before or after the institution of proceedings for any offence punishable under section 40, accept from any person charged with such offence by way of composition of the offence—

(a) for contravening the provision of section 22, sub-section (2), or section 23 a sum not exceeding fifty rupees;

(b) for contravening the provisions of section 5, a sum not exceeding five hundred rupees in addition to the arrears of licence fees payable by him under this Act.

(3) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 1989

(ACT NO. 19 OF 1992)

XX XX XX XX XX XX

34. Penalty for not discharging the duties of secretary.- A person who contravenes the provisions of sub-section (3) of section 9 or section 12 or, where any contravention is committed by an association, every member of managing committee shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees:

Provided that such member of the managing committee, who has not participated in it or, who not agreed upon such decision, shall not be liable to any penalty under this section.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

(ACT NO. 14 OF 1998)

XX XX XX XX XX XX

CHAPTER--VII

Criminal Offences and Procedure.

73. Penalty for executing, etc., instrument not duly stamped.- (1) Any person,-

(a) drawing, making, issuing, endorsing or transferring, or signing otherwise than as a witness, or presenting for acceptance or payment, or accepting, paying or receiving payment of, or in any manner negotiating, any bill of exchange payable otherwise than on demand or promissory note without the same being duly stamped; or

(b) executing or signing otherwise than as a witness any other instrument chargeable with duty without the same being duly stamped; or

(c) voting or attempting to vote under any proxy not duly stamped;

shall for every such offence be punishable with fine which may extend to five thousand rupees:

Provided that, when any penalty has been paid in respect of any instrument under section 39, section 44 or section 71, the amount of such penalty shall be allowed in reduction of the fine, if any, subsequently imposed under this section in respect of the same instrument upon the person who paid such penalty.

(2) If a share-warrant is issued without being duly stamped, the company issuing the same, and also every person who, at the time when it is issued, is the managing director or secretary or other principal officer of the company shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.

74. Penalty for failure to cancel adhesive stamp.- Any person required by section 12 to cancel an adhesive stamp and failing to cancel such stamp in the manner prescribed by that section, shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.

XX XX XX XX XX XX

78. Penalty for not making out policy or making one not duly stamped. -Any person who,-

(a) receives or takes credit for, any premium or consideration for any contract of insurance and does not, within one month after receiving, or taking credit for, such premium or consideration, make out and execute a duly stamped policy or such insurance; or

(b) makes, executes or delivers out any policy which is not duly stamped or pays or allows in account, or agrees to pays or allows in account, any money upon or in respect of, any such policy;

shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

79. Penalty for not drawing full number of bills or marine policies purporting to be in sets.- Any person drawing or executing a bill of exchange payable otherwise than on demand or a policy of marine insurance purporting to be drawn or executed in a set of two or more, and not at the same time drawing or executing on paper duly stamped the whole number of bills or policies of which such bill or policy purports the set to consist, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

XX XX XX XX XX XX

81. Penalty for breach of provisions of section 85.- Any person who commits a breach of the provisions of section 85 shall on conviction be punished,--

(i) for a first offence with fine which may extend to five hundred rupees;

(ii) for a second offence with fine which may extend to one thousand rupees, but which shall not be less than two hundred rupees; and

(iii) for a third and subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to two thousand rupees.

82. Penalty for breach of rule relating to sale of stamps and for unauthorized sale.- (a) Any person appointed to sell stamps disobeys any rule made under section 86, and

(b) any person not so appointed who sells or offers for sale any stamp (other than a ten paise or five paise adhesive stamp);

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

83. Institution and conduct of prosecutions.- (1) to (3) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

87. Power to make rules generally to carry out the purposes under the Act.- (1) The State Government may make rules by a notification in the official Gazette, to carry out generally the purposes of this Act, and may by such rules prescribe the fines, which shall in no case exceed five thousand rupees, to be incurred on breach thereof.

(2) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009 (ACT NO. 18 OF 2009)

XX XX XX XX XX XX

126. Obligation to disclose liability.- (1) xx xx

(2) If an inhabitant so called upon to furnish information omits to furnish it or furnishes information which is untrue, he shall be liable upon conviction to a fine, which may extend to one thousand rupees.

XX XX XX XX XX XX

169. Power to stop unauthorized development.- (1) xx xx xx xx xx xx

(2) Any person, who continues to carry out the development of land, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.

(3) xx xx xx xx xx

(4) After a requisition order under sub-Section (3) has been complied with, any person or his assistants and workmen subsequently continuing unauthorized development shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in case of continuing offence, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which such offence continues after the conviction for the first commission of the offence.

(5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

171. Sanction for sub-division or reconstitution of plot or lay out of Private Street. - (1) to (4) xx xx xx

(5) Any person, who continues to carry out the development of land, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five

thousand rupees, and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to two hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which the non-compliance has continued or continues.

Explanation.- For the purpose of the section "reconstitution" means any change in the area or dimension of two or more plots.

XX XX XX XX XX XX

183. The regular line of Public Street. - (1) to (3) xx xx

(4) If any person contravenes the provisions of sub-section (3), he shall be punishable on conviction with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees and the Municipality shall-

(a) direct that such construction or re-construction be stopped; and

(b) by a written notice, require the building or any portion thereof so constructed or reconstructed to be demolished.

(5) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

189. Material not to be deposited nor hole to be made in a street without permission.- (1) xx xx xx xx

(2) Whoever contravenes any of the provisions of sub-Section (1) shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or, night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.

XX XX XX XX XX

194. Provisions relating to erection of all kinds of buildings.– (1) to (8) xx xx xx xx

(9) (a) After completion of any building having height of more than 15 meters but before its occupancy, the owner of the building, shall submit an application (along with the certificate of safety and verification of other facts by architect/ engineer) for issuance of occupancy certificate. The Chief Municipal Officer, after arranging necessary inspection, shall issue such certificate or ask the owner to remove the defects, if any, as may appear to him to be necessary, within the specific period from the date of receipt

of such application. He shall also ensure that the applicant has not contravened the sanctioned map. It shall be the responsibility of the owner not to occupy or to allow such building to be occupied without obtaining occupancy certificate;

(b) Whoever contravenes the provisions of clause (a) shall, on conviction by a competent court, be punished with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing contravention, with fine of five hundred rupees for each day of contravention, till such contravention continues.

(10) to (12) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

196. Particulars of permission and construction to be displayed prominently.- (1) xx xx xx xx

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-Section (1) shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees.

197. Hoardings to be set up during repairs, etc.- (1) xx xx xx xx xx

(2) Whoever contravenes any of the provisions of this Section shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day or night, as the case may be, on which such contravention continues after the date of the first conviction.

XX XX XX XX XX XX

202. Effectual drainage of building. - (1) to (3) xx xx

(4) Where any person disobeys the directions of the Municipalities given under sub-Section (1), he shall, on conviction, be punished with a fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

XX XX XX XX XX XX

209. Erection of latrine and urinal in factories, schools and public places. - (1) to (3) xx xx xx xx xx

(4) The person in charge of such places shall be punished, on conviction, with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees in case of non-compliance of the orders or directions of the Chief Municipal Officer.

XX XX XX XX XX XX

254. Halting vehicles or animals on public ground. - Where any land vested in the Municipality or any public place is, without the permission in writing of the Municipality, used as a halting place for any vehicle or animal or a place of encampment, the owner or keeper of the vehicle or animal or the person encamping, as the case may be, shall be liable on conviction to fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing breach to a further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offence.

XX XX XX XX XX XX

259. Non-taking of connection or discharging sewage etc. - Whoever does not take connection from sewerage system as provided in Section 202 or causes or allows the water of any sink or sewer, any other liquid or other matter which is or which is likely to become offensive, from any building or land under his control, to run, drain or be thrown or put upon any street or open space or to soak through any external wall, or causes or allows any offensive matter from any sewer or privy to run, drain or be thrown into a surface drain in any street, without the permission in writing of the Municipality, or who fails to comply with any conditions prescribed in such permission, shall be punishable with fine which shall not be less than five thousand.

260. Filthy building etc.. - (1) Whoever, being the owner or occupier of any building or land, allows the same to be in a filthy and unwholesome state, or to be, in the opinion of the Municipality, a nuisance to persons residing in the neighbourhood, or to be overgrown with prickly-pear or rank and noisome vegetation and does not, within a reasonable time after notice in writing by the Municipality to cleanse, clear or otherwise put the same in a proper state, comply with the requisition contained in such notice, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and with further fine which shall not be less than fifty rupees but which may extend to one hundred rupees for every day on which the failure to comply with the said notice is continued after the date of the first conviction.

(2) to (5) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

262. Fouling Water. - (a) xx xx xx

(b) whoever, without permission of the Municipality introduces into any tank or ditch within, or on the boundary, of the Municipality any animal, vegetable or mineral matter likely to render the water of such tank or ditch offensive or to be a nuisance, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

XX XX XX XX XX XX

266. Playing any game causing annoyance. - Whoever negligently flies kites, or discharges or lets fireworks or fire balloons or engages in any game, in such a manner as to cause or be likely to cause danger or annoyance to persons passing by or dwelling or working in the neighbourhood or risk of injury to property, shall be punishable with fine which shall not be less than one hundred rupees but which may extend to five hundred rupees.

267. Prohibition of other nuisances. - (1) xx xx xx

(2) Whoever commits a contravention of any of the provisions of sub-Section (1) shall be punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

268. Consumption of smoke. - (1) xx xx xx

(2) If any person shall, after such direction, use or permit to be used any such furnace not so constructed, supplemented or altered, or shall so negligently use, or permit to be used, any such furnace that the smoke arising therefrom shall not be effectually consumed or burnt as far as may be practicable, every person so offending, being the owner or occupier of the said works or buildings or being an agent or other person employed by such owner or occupier for managing the same, shall be punished with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees, and upon any subsequent conviction, which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees:

Provided that nothing in this section shall be held to apply to locomotive engines used for the purpose of traffic upon any railway or for the repair of roads.

XX XX XX XX XX XX

278. Power to licence fuel shops at burning grounds.- (1) to (3) xx xx xx xx

(4) Whoever-

(a) being the holder of a licence in respect of a burning ground granted or renewed under sub-section (1), charges for the sale of fuel or other article sold there at a rate higher than the rate fixed by the Municipality under sub-section (3), or

(b) notwithstanding the revocation or withdrawal of his licence under sub-section (2), carries on such sale, or

(c) being a person not so authorized sells fuel or other article within three hundred meters of the burning ground in respect of which licence granted or renewed under sub-section (1) is in operation,

shall be punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees and, in a case covered by clause (a), shall be further liable to have the licence cancelled.

XX XX XX XX XX XX

280. Removal of carcasses of dead animals in municipal area.– (1) to (4) xx xx xx xx

(5) Whoever being bound to act in accordance with sub-section (2) or sub-section (3) of this section fails so to act shall be punishable with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to two thousand rupees.

XX XX XX XX XX XX

291. Penalty for breaches of Act, rules and bye-laws not otherwise provided.- Whoever contravenes any provisions of this Act or of any rule, bye-laws or order thereunder or fails to comply with any notice, order or direction issued or made thereunder for which contravention or failure no penalty has been elsewhere provided in this Act or in the rules or bye-laws made thereunder, shall be liable on conviction to fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE JAIPUR WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD ACT, 2018 (ACT NO. 24 OF 2018)

XX XX XX XX XX XX

59. Waste or misuse of water.- (1) to (3) xx xx xx

(4) Whoever continues to waste or misuse water, he shall on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or a daily fine of rupees one thousand per day or maximum of rupees ten thousand.

60. Use of water supplied for domestic purposes, for non-domestic purposes.- Whoever uses or allows to use, the water supplied for domestic purposes, for non-domestic purposes shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.

61. Damage or interference with free flow of contents of Board sewer or sewers communicating with Board sewers.- Whoever contravenes the provisions of section 41 shall on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.

62. Connection with Board sewers without written permission.- Whoever contravenes the provisions of section 50 shall on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees one thousand per day upto a maximum of rupees ten thousand.

63. Private drain not to be connected with Board sewers without written permission.- Whoever contravenes the provisions of section 44 shall on conviction be punished with, simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.

64. Erection or construction of building or private street over the Board's sewerage line or sewerage treatment works.- Whoever contravenes the provisions of section 51 shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or with a daily fine of rupees two hundred per day upto a maximum of rupees one thousand.

XX XX XX XX XX XX

66. Licensed Engineer or Licensed Plumber not to contravene regulations or demand charges more than that prescribe.- Whoever contravenes the provisions of section 73 shall on conviction be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year or upto a maximum fine of rupees ten thousand.

XX XX XX XX XX XX

69. General provision for punishment of offences.- Whoever contravenes any of the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder, for which no specific penalty is provided for, shall, for the contravention, be punished,-

(a) for the first offence, with fine which may extend to five thousand rupees; and

(b) for a second or any subsequent offence, with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to one lakh rupees.

XX XX XX XX XX XX

Bill No.4 of 2026

THE RAJASTHAN JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) Bill, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Jogaram Patel, **Minister-Incharge**)

<u>2026 का विधेयक सं. 4</u>

राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

जीविका और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वसनीयता आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए और अपराधों का गैर अपराधीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(जोगाराम पटेल, **प्रभारी मंत्री)**